रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939
No. 406] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ BHADRA 21, 1939

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 3–1/डी–एसडीसी/एनईईएम/2017.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा [राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)] विनियम, 2017" में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है:–

इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)] विनियम, 2017 (प्रथम संशोधन) है। ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)] विनियम, 2017" में **एनईईएम (नीम) सुविधा प्रदाता की पात्रता** के संबंध में अनुच्छेद 1 और 3 के अंतर्गत किए गए प्रावधान संशोधित हो जाएंगे तथा इन्हें निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

खण्ड 1.2 :	ये विनियम किसी भी सोसायटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार विश्वविद्यालयों/सरकारी संस्थाओं/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) के अंतर्गत स्थापित स्टार्ट–अप तथा नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा स्र्टाट–अप के रूप में मान्यता प्राप्त पर लागू होंगे।
खण्ड 3.1 :	कोई सोसाईटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए सशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्रीय सरकार के निकाय/राज्य सरकार के निकाय/सरकारी संस्थानों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार विश्वविद्यालयों/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) के अंतर्गत स्थापित स्टार्ट–अप तथा नीति एवं

	संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा स्टॉर्ट–अप के रूप में मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवाने हेतु पात्र होंगे।
खण्ड 3.3 :	एनईईएम सुविधा प्रदाता का कारोबार (टर्नओवर) एवं पंजीकृत कंपनियों/उद्योगों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए लगाने की क्षमता निम्नलिखित तालिका के अनुसार होनी चाहिए अथवा उस मूल कंपनी जिसके अधीन एनईईएम के उद्देश्यों से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर इसमें किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी स्थापित की गई है, का कारोबार (टर्नओवर) एवं पंजीकृत कंपनियों/उद्योगों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए लगाने की क्षमता निम्नलिखित तालिका के अनुसार होनी चाहिए :–

क्रम संख्या	पिछले तीन वित्तीय वर्शों से प्रति वर्श कारोबार (टर्नओवर) (करोड़ में)	प्रति वर्श प्रशिक्षण क्षमता
1.	25 तथा अधिक	5,000
2.	15–25	3,000
3.	5–15	1,000

खण्ड 3.6 :	एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक सोसाइटी/न्यास/कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) अथवा समय–समय पर संगत अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/केन्द्र सरकार के निकायों/राज्य सरकार के निकायों/सरकारी संस्थाओं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार विश्वविद्यालय/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (8) तथा के अंतर्गत स्थापित स्टॉर्ट–अप तथा नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (डीआईपीपी), भारत सरकार द्वारा स्टार्ट–अप के रूप में मान्यता प्राप्त स्टार्ट–अप जो स्वयं को एनईईएम सुविधा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं को, इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना सही है, और यदि भविष्य में आवेदक द्वारा दी गई सूचना गलत पाई गई, तो इस सूचना के आधार पर एनईईएम सुविधा प्रदाता के तौर पर किया गया उनका पंजीकरण रोका जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है तथा दण्डात्मक एवं सिविल कार्रवाई की जा सकती है।
खण्ड 3.8 :	धारा 3.2 तथा 3.3 सरकारी संस्थाओं/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में परिभाषित किए गए अनुसार सरकारी विश्वविद्यालयों/सरकारी केन्द्रों/कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित सैक्टर कौशल परिषदों/स्टार्ट–अप कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। स्टार्ट–अप कंपनी परिषद् की अपेक्षानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परिषद् को जमा करेंगी, जिसमें "प्रशिक्षण कहाँ एवं कैसे उपलब्ध करवाया जाएगा" एवं वितपोषण के स्त्रोत इत्यादि की जानकारी शामिल होगी।

प्रो. आलोक प्रकाश मित्तल, सदस्य–सचिव

[विज्ञापन.-III/4/असा./275/17]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2017

F. No. 3-1/D-SDC/NEEM/2017.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 23 read with sub-section (1) & (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby frames following Regulations amending the "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulation, 2017".

These Regulations may be called the "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulations, 2017" (1st Amendment) and will deem to have come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

The provisions contained in Article 1 and 3 of "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulations, 2017" shall stand amended and be substituted with the following Clause :

Clause 1.2 **:** These Regulation shall apply to any Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 /Section 8 of Company Act, 2013 or relevant act as amended from time to time/ Bodies of Central Government/ Bodies of State Government / Government Institutions/ Universities as defined under UGC Act/ Start-Up established under Section 8 of Company Act, 2013 and recognized by Department of Policy and Promotion (DIPP), Govt. of India as a start-up.

Clause 3.1 **:** Any Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 /Section 8 of Company Act, 2013 or relevant act as amended from time to time/ Bodies of Central Government/ Bodies of State Government / Government Institutions/ Universities as defined under UGC Act / Start-Up established under Section 8 of Company Act, 2013 and recognized by Department of Policy and Promotion (DIPP), Govt. of India as a start-up, shall be eligible to apply for registration as NEEM Facilitator.

Clause 3.3 **:** NEEM Facilitator shall have turnover and capacity to place students in registered companies/industries as per following table or the parent company under which Section 25 of Companies Act, 1956/ Section 8 of Company Act, 2013 or relevant act as amended from time to time, is formed to meet the objective of NEEM shall have turnover and capacity to place students in registered company/industry as per following table:

S.No.	Turnover (in Crores) per year for the previous three financial years	Training Capacity Per Year
1	25 and above	5,000
2	15 – 25	3,000
3	5 - 15	1,000

Clause 3.6 : Society/Trust/Company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 / Section 8 of Company Act, 2013 or relevant act as amended from time to time/ Bodies of Central Government/Bodies of State Government /Government Institutions/ Universities as defined under UGC Act / Start-Up established under Section 8 of Company Act, 2013 and recognized by Department of Policy and Promotion (DIPP), Govt. of India as a start-up, seeking registration as NEEM Facilitator shall submit an affidavit in the proforma appended to these Regulations stating that the information submitted by it in the application for registration is correct and if any information submitted by the applicant found incorrect in future, the NEEM Facilitator so registered on the basis of such information shall be liable for revocation or withdrawal of its registration and also penal and civil action.

Clause 3.8 **:** Clause 3.2 and 3.3 will not be applicable for Government Institutes/ Government Universities /Government Centres/Sector Skill Councils approved by Ministry of Skill Development and Entrepreneur, Government of India/ Start-Up Companies. Start-up Companies shall submit detailed project report comprising how and where training will be provided, source of funding etc. as per the requirement of Council.

Prof. A. P. MITTAL, Member Secy., AICTE

[ADVT.-III/4/Exty./275/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.16 16:21:59 +05'30'